

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची - 834001

विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की
अंतिम तिथि-10.07.2025

विज्ञापन संख्या-04/2025

परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा।

झारखण्ड राज्य के उद्योग विभाग के पत्रांक-1605, दिनांक-17.12.2024 के द्वारा झारखण्ड उद्योग सेवा संवर्ग अन्तर्गत परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अध्याचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में **One Time Registration (OTR) System** के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जो आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

1. कोटिवार रिक्तियों की विवरणी:-

क्र० सं०	पद का नाम	कुल पद	कोटिवार रिक्तियाँ						कुल रिक्तियों के विरुद्ध शैतिज आरक्षण
↓	↓	↓	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	अ०जा०	अ०ज० जा०	अ०पि०व० (अनु०-I)	पि०व० (अनु०-II)	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष	30	13	02	03	08	02	02	01

नोट:- कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

- वेतनमान - ₹ 9300-34800, ग्रेड वेतन ₹ 4800
- पद - स्थायी
- परीक्ष्यमान अवधि - 2 (दो) वर्ष
- अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :-

पद	शैक्षणिक अर्हता
परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष	किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजिनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री। अथवा अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, विज्ञान, वाणिज्य, कॉस्ट एकाउन्टेसी, रेशम (सेरिकल्चर), पर्यावरण एवं फूड टेक्नोलॉजी अथवा प्रबंधन में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री

6. उम्र सीमा:- उम्र की गणना की संदर्भ तिथि-01.08.2024 ।

(a) न्यूनतम उम्र सीमा :- 22 वर्ष।

(b) अधिकतम उम्र सीमा:- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक-29 दिनांक-04.01.2021 के अनुसार निम्न रूप से होगा।

क्र० सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा	दिव्यांग जनों के लिए	सरकारी सेवक के लिए
1.	अनारक्षित	35 वर्ष	45 वर्ष	40 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष	42 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	48 वर्ष	43 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष	45 वर्ष
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	35 वर्ष	45 वर्ष	40 वर्ष

नोट:-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक-360 दिनांक-21.01.2003 के आलोक में वैसे स्थायी सरकारी कर्मी जिन्होंने तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो को पूर्व निर्धारित उम्र सीमा में 05 वर्षों की अतिरिक्त छूट देय होगी।

7. चयन प्रक्रिया:-लिखित परीक्षा विषयनिष्ठ (Subjective) एवं साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा।

(क) लिखित परीक्षा के विषय एवं अंकों का निर्धारण निम्नवत् होगा :-

क्र० सं०	पत्र	विषय	पूर्णांक	अवधि
1	प्रथम पत्र	सामान्य हिन्दी	100	02 घंटे
2	द्वितीय पत्र	अंग्रेजी	100	02 घंटे
3	तृतीय पत्र	सामान्य अध्ययन	200	02 घंटे
4	चतुर्थ पत्र	औद्योगिक विकास, औद्योगिक श्रम विधि एवं संबंधित नियमावली	300	02 घंटे

(i) सामान्य हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्राप्त लब्धांक अन्य लिखित पत्रों और साक्षात्कार के लब्धांकों में नहीं जोड़ा जायेगा। सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी पत्र में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे लिखित परीक्षा के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

(ii) लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार 100 अंको का होगा।

(ख) न्यूनतम अहर्तांक :- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-3928 दिनांक-11.08.2020 के अनुरूप लिखित एवं मौखिक परीक्षा के लिए कोटिवार न्यूनतम अहर्तांक निम्नवत् है :-

सामान्य वर्ग	40 %
पिछड़ा वर्ग	36.5%
पिछड़ा वर्ग (एनेक्चर-I)	34 %
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 %
आदिम जनजाति	30 %
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40%

(ग) **पाठ्यक्रम :-**

- (i) सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी के पाठ्यक्रम प्रवेशिका (Matric) के स्तर के होंगे।
- (ii) सामान्य अध्ययन:—General Awareness of Jharkhand, Indian Polity, Indian History, Indian Geography and Culture, Indian Economy, Current affairs of Jharkhand State and National & International importance, Reasoning, Environment and climate change.

(iii) **औद्योगिक विकास:-**

- 1. औद्योगिक नीति, (भारत एवं झारखण्ड)
- 2. औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की प्रक्रिया।
- 3. बैंकिंग अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया।
- 4. औद्योगिक समस्या एवं इसका निदान।
- 5. रूग्ण उद्योग का पुनर्जीवन/पुनर्वास

(vi) **औद्योगिक एवं श्रम विधि तथा अन्य संबंधित (अद्यतन यथा संशोधित)**

- 1. औद्योगिक (विकास एवं विनियम) अधिनियम-1951 संशोधन के साथ
- 2. कंपनी अधिनियम, 2013 (संशोधन के साथ)
- 3. रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम-1985 (BIFR एवं अन्य संलग्न नियम के साथ)।
- 4. कारखाना अधिनियम, 1948
- 5. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (अनुवर्ती नियम के साथ)
- 6. Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, re-habilitation and Re-settlement Act 2013.
- 7. The Chhotanagpur Tenancy Act, 1908
- 8. The Santhalparaganas Tenancy (Supplementary Provisions) Act, 1949
- 9. The Jharkhand Panchayat Rajya Act, 2001
- 10. Panchayat Extension to the Schedule Area Act, 1996

8. **आरक्षण का लाभ :-** आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।

(क) **आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश :-**

- i. आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- ii. शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।

(ख) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-235, दिनांक-10.10.2019 द्वारा अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आब्रजित महिलाओं को आब्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।

(ग) जाति प्रमाण-पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-

- (a) **अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति:-** झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2669, दिनांक-10.05.2023 द्वारा निर्धारित प्रपत्र-5/प्रपत्र-V (संशोधित/Amended), पत्रांक-1361, दिनांक-03.03.2022 प्रपत्र-4/प्रपत्र-IV (संशोधित/Amended) एवं पत्रांक-1754, दिनांक 25.02.2019 द्वारा विहित प्रपत्र-IV/प्रपत्र-4 में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

नोट:-केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

- (b) **अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II :-**झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-XI/प्रपत्र-11 (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। किन्तु जाति प्रमाण पत्र (क्रीमीलेयर रहित) की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754, दिनांक-25.02.2019 के अधीन प्रपत्र-XV में गैर क्रीमीलेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

नोट:-

- (i) केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ii) राज्य सरकार के सेवाओं /पदों के लिए अनुमान्य झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के साथ यदि प्रमाण पत्र में Form-XI/Form-11 Required अंकित हो तो Form-XI/Form-11 (Non-Creamy Layer) से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाय अन्यथा दावे के अनुरूप आरक्षण कोटि की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी।
- (c) **आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के लिए:-** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या-1433 दिनांक-15.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-I) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध एवं अद्यतन "आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र" के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।
- (d) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण कोटि से संबंधित किये गये दावे में, नियुक्ति की प्रक्रिया के बीच सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (e) आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साक्षात्कार के पूर्व अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

9. **(क) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (i) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (ii) Impersonating, or
- (iii) Procuring impersonation by any person, or
- (iv) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vi) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (vii) Using unfair means during the test, or
- (viii) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (ix) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (x) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (xi) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/ interview room.
- (xii) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (a) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (b) to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (c) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ख) कदाचार के लिए कार्यवाही :-झाखण्ड प्रतियोगिता परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम वा निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के संगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ दण्डात्मक/अनुशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

(ग) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

10. **परीक्षा शुल्क:-**

- (i) परीक्षा शुल्क Credit Card /Debit Card /Net Banking /Wallet/Bharat QR/UPI के माध्यम से Payment Gateway द्वारा लिया जाएगा। जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (ii) अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (EWS), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0-600 (छः सौ) मात्र है।
- (iii) **परीक्षा शुल्क में छूट-** झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0-150/- (एक सौ पचास) मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।

11. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- (a) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर One Time Registration (OTR) Sytstam के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (b) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (c) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व “How to Register for OTR” आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.-+919431301636 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (d) One Time Registration (OTR) Sytstam के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (e) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

- (f) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक-पत्र में अंकित है।
- (g) जन्म तिथि-आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर भरें।
- (h) ऑनलाइन आवेदन में अंकित **e-mail Id, Mobile Number** तथा प्राप्त **User Id** एवं **Password** को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत **Mobile Number, e-mail Id** अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का **Mobile Number, e-mail Id** अंकित नहीं करेंगे।
- (i) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (j) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान **Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure** के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- (k) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को **Submit** करने के बाद उसी समय पुनः **Login** कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध **“Download Filled Application Section”** से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित एवं आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे।
- (l) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र यथा-शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, जाति एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आदि अभिलेख सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
- (m) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।
- (n) **Online Application** में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी **Online Application** भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार **Online Application** में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन/त्रुटि निराकरण का कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।
- (o) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी **Online Application** में प्रविष्ट करेंगे अथवा तत्समय अनापत्ति प्रमाण पत्र

(NOC) निर्गत नहीं होने की स्थिति में आवेदक Applied for NOC संबंधी सूचना ऑनलाइन आवेदन में प्रतिष्ठित करेंगे तथा समर्पित आवेदन की मूल प्रति Document Verification के समय में प्रस्तुत करेंगे।

- (p) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है:—1. +919431301636 2. +919431301419 परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.— 1. +917979970392, 2. +918340331314 एवं E-mail Id:-helpdesk@jpscexam.com तथा Payment helpline No. +917979970392 पर संपर्क किया जा सकता है।
- (q) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (r) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (s) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति **कंडिका-11(t)** के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित प्रति निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट एवं हाथों-हाथ आयोग कार्यालय के पते **परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001** पर निर्धारित तिथि—23.07.2025 अपराह्न 05:00 बजे तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। Hard Copy लिफाफे के उपर **विज्ञापन संख्या-04/2025** तथा **पद का नाम-परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष**, OTR No....., Registration No....., मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है। हार्ड कॉपी जमा करने के साथ-साथ OTR में वांछित Document Upload करेंगे। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।
- (t) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों के अनुरूप निम्नलिखित सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति मूल प्रति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-
- (i) मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र की छायाप्रति।
 - (ii) इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र की छायाप्रति।
 - (iii) किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजिनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।

अथवा

अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, विज्ञान, वाणिज्य, कॉस्ट एकाउन्टेंसी, रेशम (सेरिकल्चर), पर्यावरण एवं फूड टेक्नोलॉजी अथवा प्रबंधन में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र पत्र की छायाप्रति।

(iv) जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।

(v) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।

नोट—क्षैतिज आरक्षण हेतु सभी वर्ग के महिला एवं दिव्यांग जनों के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य है।

(vi) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।

(vii) अनापति प्रमाण पत्र (झारखण्ड सरकार के स्थायी सेवाकों को उम्र सीमा में छूट हेतु)

(u) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय उपर्युक्त कंडिका-11(t) के अनुरूप सभी वांछित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13. अंतिम तिथि :-

(a) आवेदक **Online Application System** के माध्यम से दिनांक-20.06.2025 से

दिनांक-10.07.2025 संध्या 05:00 बजे तक ही **Online** आवेदन कर सकते हैं।

(b) दिनांक-10.07.2025 के बाद दिनांक-11.07.2025 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

ह0/-

परीक्षा नियंत्रक (प्रभारी),
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।